



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ खान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003 / 2019 / स.नि.अनु. / 324-01 / 2021
दिनांक : 10.12.2021

अधिसूचना

विद्या-परिषद की 07.06.2021 को संपन्न 36वीं बैठक की मद संख्या 9 (2) में लिए गए निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय के अकादमिक वृद्धि के लिये दूर शिक्षा निदेशालय के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था लागू की जाती है :

दूर शिक्षा निदेशालय में पदस्थ सभी शिक्षक अपने विषय से संबंधित विभाग के संकाय सदस्य होंगे। वह शिक्षक दूर शिक्षा में तैनात होंगे। विश्वविद्यालय अपनी आवश्यकतानुसार दूर शिक्षा निदेशालय से विभाग या विभाग से दूर शिक्षा निदेशालय में अपनी अकादमिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्हें स्थानांतरित कर सकेगा। यह व्यवस्था क्षेत्रीय केंद्रों के साथ-साथ विभागों पर भी लागू होगी।

साथ ही संबंधित विषय के लिए विभाग में जो अध्ययन बोर्ड है वहीं दूर शिक्षा निदेशालय के विषय के लिए अध्ययन बोर्ड होगा। संबंधित शिक्षक विभाग में उस विषय के अध्ययन मंडल का स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य होगा।

यह अधिसूचना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से निर्गत की जाती है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
10/12/21

प्रति (ईमेल द्वारा) : विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक सदस्य

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय
3. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक, कार्यालय प्रमुख, क्षेत्रीय केंद्र के अकादमिक निदेशक एवं प्रभारी
4. निदेशक, दूर शिक्षा निदेशालय
5. प्रवेश प्रकोष्ठ
6. स्थापना एवं प्रशासन विभाग
7. विश्वविद्यालय वेबसाइट
8. संबंधित पत्रावली